रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032021-226239 CG-DL-E-30032021-226239

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1302]

नई दिल्ली मंगलवार, मार्च 30, 2021/चैत्र 9, 1943

No. 1302]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2021/CHAITRA 9, 1943

## सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

### आदेश

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2021

का.आ. 1407(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 100 के उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. उक्त नियम के नियम 100 में उप-नियम (3ख) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3ग)" जहां किसी विनिर्माता की दशा में इन नियम के उपबंधों का अनुपालन ऐसे किया गया है जैसे वे 31 मार्च, 2021 को विद्यमान थे, वहां ऐसा विनिर्माता 31 मार्च, 2022 तक सतत् ऐसा कर सकेगा और ऐसी परिस्थिति में यह उपधारित किया जाएगा मानो केन्द्रीय मोटर यान (सातवां संशोधन) नियम 2020 के नियम 2 के खंड (ख) के उपबंध 1 अप्रैल, 2022 को प्रवृत्त हुए हो;

परन्तु विनिर्माता जो इस नियम के उपबंधों का अनुपालन ऐसे करते हैं जैसे वे 1 अप्रैल, 2021 को विद्यमान हो तो वे सतत् ऐसा कर सकेंगे"।

[सं. आरटी-11028/03/2019-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख, 2 जुन, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 173 (अ), तारीख, 11 मार्च, 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे।

1918 GI/2021 (1)

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS ORDER

New Delhi, the 30th March, 2021

- **S.O. 1407(E).**—In pursuance of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 100 of Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereafter referred to as the said rules), the Central Government hereby makes the following order, namely:-
- 1. In the said rules, in rule 100, after sub-rule (3B), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
- "(3c) in cases where any manufacturer has complied with the provisions of this rule as they exist till the 31st March, 2021, such manufacturer may continue to do so till the 31st March, 2022, and in that situation it shall be presumed as if the provisions of clause(b) of rule 2 of the Central Motor Vehicles (Seventh Amendment) Rules, 2020, come into force, on the 01st April, 2022:

Provided that the manufacturers who comply with the provisions of this rule as they exist on the 1st April, 2021, they shall continue to do so."

[No. RT-11028/03/2019-MVL] AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. 173(E), dated 11th March, 2021.